कानकुन में भारत : नए युग का उदय
India at Cancun: The Dawn of a New Era

वरद पांडे
Varad Pande
January 3, 2011

हाल ही में कानकुन में संपन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ के जलवायु परिवर्तन संबंधी पार्टी सम्मेलन (सीओपी-16) के समय नागरिक समिति दलों के बैनरों में यह उम्मीद ज़ाहिर की गई कि “कानकुन कर सकता है”. और उसने कर दिखाया; दो सप्ताह तक चली वार्ताओं और चर्चाओं के थका देने वाले दौर के अंत में विश्व ने जलवायु परिवर्तन पर सार्थक वैश्विक करारों के लिए एक छोटा,लेकिन मज़बूत कदम उठाया.

यद्यपि सभी देश अंतिम करार पर और प्रारूप के पाठ पर बिना कोष्ठकों के सहमत नहीं हुए,किंतु वार्ताकारों के चुनींदा समूह के बीच आगे की चर्चा के आधार पर सहमति बन गई. पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया जा सका है और इससे लंबे समय तक वैश्विक उत्सर्जन के लिए हरित जलवायु निधि बनाने की “साझी दृष्टि” जैसे मुख्य मुद्दों पर गतिरोध को खत्म किया जा सका है. यह निधि प्रौद्योगिकीय सहयोग, उत्सर्जन में कमी लाने के वायदों में पारदर्शिता और वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन के लिए एक ढाँचा है. यह कहना सही होगा कि अब से एक वर्ष के बाद डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले पार्टी सम्मेलन (सीओपी-17) के लिए व्यापक करारों का मज़बूत आधार लगभग तैयार हो गया है.

करार के पाठ से भी अधिक महत्वपूर्ण है कानकुन में सभी देशों की साझा लचीली और सकारात्मक सोच. इस सम्मेलन का समापन उपलब्धि और आशावाद की प्रत्यक्ष भावना के साथ हुआ. सभी प्रतिभागी देशों ने यह अनुभव किया कि सभी ने कुछ न कुछ रियायत दी है और यही बात कुछ हद तक सकारात्मक रही. समझौते की भावना से बहुपक्षवाद का भविष्य उज्ज्वल लगता है और इस पर कई देशों ने सवाल उठाना शुरू भी कर दिया है. बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए आवश्यक है कि सभी निर्णय आम सहमति से ही किए जाएँ और यह बहुत कठिन है क्योंकि सभी देश जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल मुद्दों पर अपने-अपने हितों के लिए लगातार और ज़ोरदार ढंग से पैरवी करते हैं. लेकिन पिछले अक्तूबर में नगोया में जैविक विविधता पर हुए सम्मेलन में, जिसमें सभी देश जैव-विविधता के लिए और उससे होने वाले लाभों को साझा करने के लिए बहुपक्षीय प्रोटोकॉल पर सहमत हो गए थे, और अब कानकुन में एक नई आशा का उदय हुआ है कि बहुपक्षवाद अब आगे भी चलेगा.

कानकुन की सफलता का मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों के गतिरोध के बाद विश्व समुदाय को अधिक सफलता की उम्मीद नहीं थी और यह सफलता सम्मेलन के मेज़बान मैक्सिको और उसकी अध्यक्षता के कारण ही संभव हो पाई है. मैक्सिको के विदेश मंत्री और

सम्मेलन के अध्यक्ष पैट्रीसिया ऐस्पिनोसा ने विश्वास का वातावरण बनाने और समझौता करने के लिए विभिन्न देशों से आए प्रमुख मंत्रियों की उपस्थिति का लाभ उठाकर खुली,पारदर्शी और सर्वसमावेशी प्रक्रिया शुरू कर दी. मंत्री ऐस्पिनोसा ने प्रमुख विषयों पर (प्रत्येक विषय पर विकासशील और विकसित देशों से एक-एक मंत्री) सुविधा प्रदाता मंत्रियों को नियुक्त कर दिया. इन मंत्रियों ने विस्तार से और खुलकर सभी प्रमुख वार्ताकार गुटों से परामर्श किया और समझौते के पाठ को अंतिम रूप देने के लिए सच्चे अर्थों में प्रयास किया. यही कोपेनहैगन और इस सम्मेलन में मुख्य अंतर था.कई देशों ने आरोप लगाया था कि कोपेनहैगन में मेज़बान डेनमार्क ने कुछ चुनींदा देशों से ही परामर्श किया था और समझौते का एक ऐसा पाठ थोपने का प्रयास किया था जिस पर न तो बहुपक्षीय चर्चा हुई और न ही कोई वार्ता हुई. कानकुन में ''वायुमंडल'' बहुत अलग है; न तो करार का पाठ किसीसे छिपा है और न ही वार्ताएँ किसीसे छिपी हैं. मैक्सिको की भूमिका सचमुच सच्चे ब्रोकर की है. मंत्री ऐस्पिनोसा ने कुछ ऐसा कौशल और चातुर्य दिखाया कि हर देश को लगा कि करार में वह भी शामिल है और यह तरकीब काम कर गई.

भारत कानकुन में साफ़ मकसद लेकर गया था: भारत ने जलवायु परिवर्तन के मामले में कोई अड़चन नहीं डाली. बस समाधान में वह अपनी भूमिका चाहता था. कानकुन ने भारत को करार तैयार करने का अवसर प्रदान किया, न कि करार की दलाली करने का.

भारत ने अंतिम पाठ तैयार करने में पाँच तरह से विशेष योगदान दिया.

- पहली बार भारतीय सूत्र की अवधारणा "स्थायी विकास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष पहुँच" का उल्लेख करार के पाठ में किया गया. यह उल्लेख इसलिए आवश्यक था क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत हद तक ऐतिहासिक उत्सर्जनों के कारण है और भारत जैसे देशों के लिए, जो बहुत देरी से विकासकर्ता की भूमिका में आए हैं, आवश्यक है कि कार्बन उत्सर्जन से पड़ने वाले बोझ का बराबर वितरण हो ताकि वे विकास की अपनी वैध प्राथमिकताओं का ध्यान रख सकें. इस अवधारणा को शामिल करने से भारत और अन्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास के संरक्षण में और समावेशी विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

- भारत ने पहली बार यह सुनिश्चित किया कि विकसित देशों की कार्रवाई का "अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन और पुनरीक्षण" किया जाए. अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, जिनमें विकासशील देश भी शामिल हैं,को यह अधिकार होगा कि वे इस बात की पुनरीक्षा करें कि विकसित देश अपने वचन का पालन करते हैं या नहीं..

- भारतीय सूत्र के अनुसार विकासशील देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण (आईसीए) की कार्रवाई का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें दखलंदाज़ी न हो, दंडात्मक न हो और जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान हो. यही प्रमुख सूत्र है जिसने लगभग खत्म न हो सकने वाले गतिरोध को खत्म कर दिया है.
भारत ने करार का प्रारूप तैयार किया और “बेसिक” भागीदारी वाले देशों जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और अमरीका आदि महत्वपूर्ण देशों के साथ इस पर विचार-विमर्श किया ताकि सभी संबंधित पक्षों के सरोकारों का ख्याल रखा जा सके.

- जलवायु के लिए मैत्रीपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकासशील देशों में विकसित और स्थानांतरित करने के लिए भारतीय सूत्र ही पक्के और सर्वसम्मत पाठ का आधार बना. यहाँ एक बार फिर भारत ने समान हितों के आधार पर अलग-अलग पक्षों को एक मंच पर लाने का काम किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रौद्योगिकीय स्थानांतरण के लिए एक ढाँचा तैयार किया जाए ताकि बौद्धिक संपदा जैसे विवादग्रस्त मामलों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न न हो.

- भारत ने सुनिश्चित किया कि न तो करार में अधिकतम वृद्धि के वर्ष का उल्लेख किया जाए और न ही 2050 तक उत्सर्जन की कटौती के परिमाण के लक्ष्य का उल्लेख हो. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों पर बहुत जल्द ही शर्तें लगाई जा सकती थीं और इनसे उनके विकास-कार्यक्रम और गरीबी हटाने की प्राथमिकताओं पर असर पड़ सकता था.

परंतु कानकुन में भारत का योगदान करार के पाठ से कहीं आगे था. भारत ने सभी प्रकार के मुद्दों पर विश्व समुदाय को बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, विकासशील देशों के अपने भागीदारों से बातचीत की, अपने स्वैच्छिक घरेलू कार्यकलापों का प्रदर्शन किया, गंभीर स्तर के बौद्धिक वाद-विवाद किए और अलग-अलग पार्टियों के बीच के अंतराल को पाटने का प्रयास किया.

भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में निष्पक्षता के महत्व पर बड़े आयोजनों की मेज़बानी की,जिनमें सभी विशेषज्ञों, वार्ताकारों और नागरिक समाज के खिलाड़ियों ने पूरी तरह भाग लिया और महत्वपूर्ण मामलों पर भारत के नेतृत्व पर मोहर लगा दी. भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी तरफ़ से की गई घरेलू कार्रवाई की जानकारी देने के लिए प्रेस को भी संबोधित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पूरी तरह से भाग लिया.

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत ने विकासशील देशों के अपने भागीदारों के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया. कानकुन में पूरे दो

सप्ताह तक "बेसिक" समूह के देशों के साथ साझे मुद्दों पर आपस में नज़दीकी तालमेल बनाने के लिए भारत ने नियमित बैठकें कीं. भारत ने आगे बढ़कर अन्य विकासशील देशों के साथ संपर्क किया और उनके हितों के बारे में आवाज़ बुलंद की. उदाहरण के लिए भारत ने लघु द्वीपों के विकासशील देशों के समूह (एसआईडीएस) को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलीकरण पर क्षमता निर्माण और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदान करने की पेशकश की. भारत ने सक्रिय रूप से और बार-बार विकसित देशों से इस बात की गुहार लगाई कि वे जलवायु परिवर्तन के लिए पहल करने के उद्देश्य से सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) और अफ्रीका को "तत्काल वित्तपोषण प्रारंभ" करने के अपने वायदे को निभाने के लिए निर्धारित निधि का वितरण करें और स्वेच्छा से यह घोषणा भी कर दी कि भारत सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के पक्ष में अपने धन के दावे को भी छोड़ देगा. भारत ने सार्क देशों के मंत्रियों को मध्याहन भोज पर भी आमंत्रित किया और उनसे आपसी सरोकार के विषयों पर विचार-विमर्श किया और वार्ता के विभिन्न मुद्दों पर अपना-अपना पक्ष तैयार करने के लिए अनेक द्विपक्षीय वार्ताएँ कीं और आवश्यकतानुसार आपसी दूरियों को कम किया.

दो सप्ताह के इस सम्मेलन के दौरान और मैक्सिको के मेज़बान के अनुरोध पर वार्ता की मेज़ पर अलग-अलग दृष्टिकोणों को साथ लाने के लिए भी भारत ने अनौपचारिक ढंग से प्रयास किए. वस्तुतः मंत्री ऐस्पिनोसा और भारत के पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश के बीच के आत्मीय संबंध कानकुन की खास विशेषता रही. समापन सत्र के दौरान मंत्री ऐस्पिनोसा ने ज़ोर देते हुए और भावुक होकर वार्ताओं में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और सभी देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया. जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं के इतिहास में यह अभूतपूर्व अवसर था.

स्पष्ट है कि कानकुन में सही संतुलन बनाने और विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतराल को कम करने में भारत की भूमिका को देखते हुए एक नए भारत का उदय हुआ. साथ ही भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण करने के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम किया. कानकुन ने यह दिखा दिया कि आधुनिक विश्व की व्यवस्था में भारत ने सच्चे अर्थों में नई और उन्नत भूमिका ग्रहण कर ली है.

वरद पांडे भारत के पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश के विशेष कार्य अधिकारी हैं और कानकुन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी थे.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>